झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सत्र 2013-15 के इन्टरमीडिएट प्रथम वर्ष (ग्यारहवीं) की परीक्षा (जिन महाविद्यालयों का माँग पत्र परिषद् कार्यालय में जमा नहीं है) से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 24/2014

सरकार के प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 738 दिनांक 12.05.2014 के आलोक में सूचित किया जाता है कि वैसे इंटर महाविद्यालय जिनकी प्रस्वीकृति संबंधी कार्रवाई झारखण्ड अधिविद्य परिषद् एवं राज्य सरकार के विचाराधीन है, में अध्ययनरत् कक्षा 11 के छात्र/छात्राओं को इंटर परीक्षा 2015 में सम्मिलित करने हेतु ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा के लिये प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका के लिए निर्धारित प्रपत्र में मांग पत्र एवं शुल्कादि निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन परिषद् कार्यालय, राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा लिये जायेंगे:–

1) **मानव संसाधन विकास विभाग के उक्त निदेश के अनुपालन में स्थापना अनुमति प्राप्त महाविद्यालय, निर्धारित एक सत्र हेतु ही छात्रों का नामांकन करेंगे। उस सत्र की समाप्ति के पश्चात् इस तरह के कोई भी महाविद्यालय छात्रों का नामांकन नहीं लेंगे। यदि निर्धारित सत्र समाप्ति के पश्चात् भी नामांकन लिया जाता है तो वैसे छात्रों के ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा लेने की जिम्मेवारी परिषद् की नहीं होगी, इसके लिए संबंधित महाविद्यालय उत्तरदायी होंगे।**
2) **अगर भविष्य में स्थापना अनुमति की निर्धारित सत्र समाप्ति के पश्चात् कोई भी इंटर महाविद्यालय बिना प्रस्वीकृति प्राप्त किये हुए छात्रों का नामांकन लेता है तो उनकी स्थापना अनुमति परिषद् द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।**

   (क) माँग पत्र परिषद कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करने की तिथि :– **30.05.2014 तक (कार्यालय अवधि में)।**

   (ख) प्रश्न पत्र/उत्तरपुस्तिका शुल्क की देय राशि 60/– (साठ रूपये) प्रति छात्र/छात्रा।

सभी प्रकार के शुल्क ड्राफ्ट के माध्यम से परिषद् कार्यालय, राँची के लिये Jharkhand Academic Council Fund, Ranchi के नाम से देय एवं राँची में भुगतेय, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका के लिये Jharkhand Academic Council Fund, Dumka के नाम से देय एवं दुमका में भुगतेय तथा प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर के लिये Jharkhand Academic Council Fund, Daltonganj के नाम से देय एवं डाल्टेनगंज में भुगतेय होगा।

परिषद् की विज्ञप्ति संख्या 65/2013, जो दिनांक 25.10.2013 को समाचार पत्रों में प्रकाशित है, में निहित प्रपत्र में ही माँग पत्र जमा करेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(सुशील कुमार राय)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/कॉ. स्था./8848/11/SECY/232/14
Dt. 15.05.2014
D.O.P. 16.05.2014